न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/76/2020

उनवान

1. मांगीलाल पिता श्री मगनी कुम्हार, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा (राज०)
   1/1 श्री जगदीशचन्द्र पिता श्री मांगीलाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
   1/2 श्री रमेशचन्द्र पिता श्री मांगीलाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
   1/3 श्री कैलाशचन्द्र पिता श्री मांगीलाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा (राज०)
   1/4 श्री राधेश्याम पिता श्री मांगीलाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
   1/5 श्री कृष्णा पुत्री श्री मांगीलाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री महावीर पिता बालुराम झंवर, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्री सुनीत पिता सुरेशचन्द्र लढ़ा, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)

.... अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. श्री शिवलाल पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (मृत्यु हो जाने डिलिट)
2. श्री शंकरलाल पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
3. श्री रामप्रसाद पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती मांगी पत्नी श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (मृत्यु हो जाने डिलिट)
5. श्रीमती शंकरी पत्नी शिवलाल जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
6. श्रीमती अनोपी पत्नी शंकरलाल जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
के प्रकरण संख्या 585/2013 निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.3.2016
व निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.3.2020

अभिभाषक :

1. श्री सूरज सनाढ्य , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री पृथ्वीराज जाट, प्रत्यर्थी
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 16.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल की आराजी नम्बर 9195 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा जिसके खातेदार मु0 कंचन देवी जोजे हीरा लाल ब्राह्मण साकिन जोधपुरिया हाल मुकाम माण्डल का है। उक्त कंचन देवी ने आराजी नम्बर 9195 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि दिनांक 22.7.1993 को विकय जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र वादीगण को विकय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया । कय की दिनांक से वादी काबिज है किन्तु प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के जो ताकत के बल पर अपनी खरीदसुदा जमीनसे जबरन बेदखल करने पर एवं नाजायज कब्जा करने पर उतारू है औरउसमे मवेशी घुसा देते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण की कय सुदा रकबा 11 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे।

2. वादी संख्या 2 व 3 की ओर से वादी संख्या 1 के साथ संयोजित वादी संख्या 2व 3 शब्द प्रतिस्थापित करते हुए संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मांगीलाल ने उक्त अनवान का एक वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया, जो बाद विचारण निर्णय हेतु दिनांक 12–03–2016 रखी गयी व उपरोक्त वाद में निर्णय प्रसारित किया गया, लेकिन डिकी पर्चा मुर्तिब होना शेष है। वादी मांगीलाल की मृत्यु हो जाने से मांगीलाल के विधिक वारिसों को दौराने कार्यवाही पक्षकार के रूप में संयोजित करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वास्ते तामिल हेतु पत्रावली नियत की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

गयी, लेकिन तामिल सम्यक् न कराकर अनुचित व अवांछित तामिल करा विधिविरुद्ध तरीके से प्रतिवादीगण ने एक तरफा निर्णय प्राप्त कर लिया, उक्त प्रकरण में विवादित आराजी जो कि कीरखेड़ा, पटवार हल्का संतोकपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 9195 रकबा 11 बिस्वा स्थित है, इस आराजी के संबंध में वादी मांगीलाल ने एक वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था, इस वादपत्र में प्रतिवादीगण ने वादपत्र का जवाब देकर प्रतिदावा प्रस्तुत किया। उक्त आराजी संख्या 9195 रकबा 11 बिस्वा भूमि, जो कि वादी मांगीलाल की मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसाने के नाम पर खातेदारी हक से अंकन थी, को श्री कृष्णगोपाल डाड ने कय की तथा श्री कृष्णगोपाल डाड से संयोजित वादी संख्या 02 व 03 ने दिनांक 30–12–2010 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से कय कर आधिपत्य में ली है, जिसका नामान्तकरण विकयपत्र के आधार पर संयोजित वादी संख्या 02 व 03 के नाम पर खुल चुका है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में संयोजित वादी संख्या 02 व 03 के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड है। संयोजित वादी संख्या 02 व 03 को उपरोक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 12–03–2016 को लोक अदालत में आने से और वहाँ पर प्रतिवादीगण के द्वारा निर्णय की चर्चा किये जाने से हुई, तत्पश्चात् संयोजित वादी संख्या 02 व 03 ने उपरोक्त प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किये जाने आने आवेदन किया, जिस पर न्यायालय ने संयोजित वादी संख्या 02 व 03 को बतौर पक्षकार वादी के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश प्रदान किया, तत्पश्चात् विधिक प्रावधानो के तहत वादी संख्या 01 के वादपत्र में संशोधन कर संयोजित वादी संख्या 02 व 03 की ओर संशोधित वादपत्र निम्न उजरात के साथ पेश है कि :–

3. ग्राम माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 9195 नो हजार एक सौ पिचानवे रकबा 02 दो बीघा 08 आठ बिस्वा स्थित है. (जो वर्तमान में ग्राम कीरखेड़ा में है) जिसके तत्कालीन खातेदार मु कंचनदेवी जोजे हीरालाल ब्राह्मण साकिन जोधपुरिया हाल माण्डल ने उक्त आराजी में से 11 ग्यारह बिस्वा भूमि दिनांक 22 बाईस जुलाई 93 तरानवे को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के वादी संख्या 01 को विक्रय करके आधिपत्य सुपुर्द कर दिया, उपरोक्त आराजी संख्या 9195 रकबा 11 ग्यारह बिस्वा को संयोजित वादी संख्या 02 व 03 ने दिनांक 30–12–2010 को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र से वादी संख्या 01 से कय की है, कय दिनांक से ही संयोजित वादी संख्या 02 व 03 उक्त आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

चला आ रहा है, जिसे इस वाद में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है, जिसका पडौस निम्न है

पूर्व– भंवरलाल मीणा की इसी आराजी से खरीद सुदा जमीन

पश्चिम –रामस्वरूप की इसी आराजी से खरीद सुदा जमीन।

उत्तर माण्डल से भीलवाडा जाने का आम रोड।

दक्षिण –भंवरलाल की जमीन एवं बीच में नहर।

4. वाद की धारा 01 में वर्णित आराजी संख्या 9195 रकबा 11 ग्याहर बिस्वा जो उपरोक्त पडौस मध्य स्थित है, पर बवक्त खरीद से वाद प्रस्तुततीकरण तक वादी संख्या 01 व पंजीकृत विकय दिनांक 30–12–2010 के पश्चात् से ही संयोजित वादी संख्या 02 व 03 का ही कब्जा चला आ रहा है और उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 1851 एक हजार आठ सौ ईकावन दिनांक 29 जुलाई 93 तरानवे के द्वारा वादी संख्या 01 के नाम इंतकाल खुलकर खाते दर्ज हुई तत्श्चात् वादी संख्या 01 द्वारा संयोजित वादी संख्या 02 व 03 को विकय किये जाने से वाद विकय नामान्तकरण से संयोजित वादी संख्या 02 व 03 के नाम पर वर्तमान में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड चली आ रही है। और संयोजित वादी संख्या 02 व 03 ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है, प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कोई स्वत्व, हित एवं अधिकार नही है।

5. प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से 05 एक ही परिवार के लडाकू एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति है और बिना वजह ताकत के बल पर पूर्व में वादी संख्या 01 को अपनी खरीद सुदा जमीन से जबरन बेदखल करके नाजायज कब्जा करना चाहते थे व वर्तमान में लगातार संयोजित वादी संख्या 02 व 03 को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है और जानबुझकर उक्त भूमि में अपनी मवेशिये घुसेड देते है, वादी संख्या 01 जब उन्हे ऐसा करने से रोकता है, तब प्रतिवादीगण झगडा फसाद करने को आमादा हो जाते है और भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है. इसी तरह का कृत्य वर्तमान में भी प्रतिवादीगण को संयोजित वादी संख्या 02 व 03 के प्रति चालु है, इसी वजह से वादी संख्या 01 ने उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया था, जो संयोजित वादी संख्या 02 व 03 द्वारा भी स्वीकार है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से 05 को जरिये स्थाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद फरमाया जावे कि वे संयोजित वादी संख्या 02 व 03 की खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 9195 रकबा 11 ग्यारह बिस्वा जिसका पडौस वाद की चरण से 01 एक में वर्णित है. में कोई दखन्दाजी नही करे उसमें जबरन मवेशिये नहीं घुसेडे, संयोजित वादी संख्या 02 व 03 को जबरन ताकत का प्रयोग कर जमीन से बेदखल नही करे एवं वादग्रस्त भूमि का शांति पूर्वक उपयोग एवं उपयोग करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

6. प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से 05 के द्वारा नाजायज रूप से वादग्रस्त भूमि में दखलन्दराजी करने एवं जबरदस्ती बेदखल करने की वादी संख्या 01 को धमकी देने की तारीख 10 अक्टूबर 93 से बिनाय वाद उत्पन्न होकर जारी है, तत्पश्चात् संयोजित वादी संख्या 02 व 03 को निरन्तर धमकी दी जाने के कारण सतत रूप से जारी है।

7. अतः निवेद है कि संयोजित वादी संख्या 02 व 03 प्रार्थना करता है कि संयोजित वादी संख्या 02 व 03 के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार डिकी प्रदान की जावे।

1--कि संयोजित वादी संख्या 02 व 03 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से 05 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की पारित की जावे कि संयोजित वादी संख्या 02 व 03 की खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 9195 नो हजार एक सो पिचानवे रकबा 11 ग्यारह बिस्वा से जिसका पडौस वाद की धारा 01 में वर्णित है और जो ग्राम माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा में स्थित है, में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से 05 कोई दखलदांजी नही करे, उक्त भूमि में मवेशिये नही घुसेडे एवं संयोजित वादी संख्या 02 व 03 को जबरन ताकत का प्रयोग कर बेदखल नही करे, न ऐसा वह अपने नौकरो, रिश्तेदारो व ही करावे, यदि दौराने वाद संयोजित वादी संख्या 02 व 03 को उक्त वादीगण वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देवे तो पुनः कब्जा संयोजित वादी संख्या 02 व 03 को दिलाया जावे।

8. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 12.3.2016 द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल के पुराने आराजी नम्बर 3471/1 मी जिसके नवीन नम्बर 9195 कायम हुए । जो वर्तमान में ग्राम कीरखेडा नया राजस्व ग्राम कयम होने से उक्त आराजी नम्बर 9195 रकबा0.11 बिस्वा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण को घोषित किये

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जाने का आदेश पारित किया । व 12.3.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत रेखांकित प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल के पुराने आराजी नम्बर 3471/1 मीनजिसके नवीन नम्बर 9195 कायम हुए। जो वर्तमान में ग्राम कीरखेडा नया राजस्व ग्राम कायम होने से उक्त आराजी नम्बर 9195 रकबा 11 बिस्वा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण को घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

9. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि सक्षेप में तथ्य यह है कि अपीलार्थीगण संख्या 01/वादीगण के द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी महोदय भीलवाड़ा के यहाँ दिनांक 18-10-1993 को प्रस्तुत किया जो अन्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डल के न्यायालय में आया, उपरोक्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माण्डल के आराजी संख्या 9195 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा स्थित है, जिसके खातेदार मु. कंचन देवी जोजे हीरलाल ब्राह्मण साकिन जोधपुरिया हाल मुकाम माण्डल का है। उक्त कंचन देवी ने आराजी नम्बर 9195 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि दिनांक 22-07-1993 को विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र वादीगण को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया। कय की दिनांक से वादी काबिज है। किन्तु प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के जो ताकत के बल पर अपनी खरीद सूदा जमीन से जरबन बेदखल करने पर एवं नाजायज कब्जा करने पर उतारू है और उसमें मवेशी घुसा देते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण की कय सुदा 11 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं कर । प्रकरण दर्ज होकर प्रतिवादीयो को सम्मन जारी किये गये,जिस पर प्रतिवादीयो द्वारा दिनांक 17.8.1994 को जवाब दावा मय काउण्टर दावा एवं रेखांकित वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान मूल आराजी सं0 9195 के साबिक आराजी नं0 3471/1 मी थे उक्त साधिक आराजी संख्या बंशीलाल आत्मज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

माधुलाल आचार्य के खातेदारी अधिकारो की थी। उन्होने यह भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज धन्नाजी जाट को बिल एवज 5001 रू पांच हजार एक रूपये में दिनांक 25–03–1975 को विक्रय कर दी। जिसकी लिखापढी स्टाम्प पर हुई। उक्त विकय की दिनांक से प्रतिवादीगण के पिता धन्ना जी व धन्ना जी की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण उक्त जमीन पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि पर मु. कंचन देवी का कभी भी कब्जा व उपयोग उपभोग नही रहा। वादी ने विधि विरुद्ध तरीके से विवादित जमीन का कब्जा प्रतिवादीगण से लेना चाहा। जिस पर प्रतिवादीगण ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवायें। इस प्रकार विवादित कृषि भूमि पर बाद कय के प्रतिवादीगण का कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। इस प्रकार दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से प्रतिवादीगण का लगभग 20 वर्ष से अधिक अवधि का निर्विवाद कब्जा होने से प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है, इस कारण प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रतिदावा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त आराजी का उन्हे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28–02–2001 को तनकियात कायम की गई, तद्धपरान्त वादी की साक्ष्य के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 02 सपठित धारा 151 का प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त आदेश का पुर्नविलोकन का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–09–2005 को किया जाकर दस्तावेज को 500 रूपये की कोष्ट पर रेकॉर्ड पर लिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिस कारण उक्त पत्रावली दिनांक 23–03–2006 के बाद राजस्व मण्डल अजमेर में तलब किये जाने से भेजी गई। उसके उपरान्त राजस्व मण्डल द्वारा 27–06–2013 को निर्णित करते हुये उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सुनवाई प्रारम्भ की गई। दिनांक 29–05–2014 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा उपस्थित हुये और उन्होंने अण्डरटेंकिग प्रस्तुत की। वादी की मृत्यु हो जाने से कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का समय लिया गया। दिनांक 22–01–2016 को प्रतिवादीगण की ओर से काउण्टर क्लेम में कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र पेश हुआ। जो स्वीकार किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिवादी शिवलाल का नाम डिलिट किया गया तथा वादीगण के वारिसान के सम्मन जारी किये गये, जारी सुदा सम्मनो की असम्यक तामील प्रतिवादीगण द्वारा मिली भगत कर मनमकसुद तरीके से तामील करवाने से दिनांक 29–01–2016 को वादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दिया, तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने अपने रेखिक बाद के समर्थन में एक तरफा शपथपत्र प्रस्तुत किये, न्यायालय द्वारा एक पक्षीय बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यो व विधि से परे जाकर प्रतिवादीगण के प्रतिवादपत्र को स्वीकार करते हुये वादी के वादपत्र को खारिज कर दिया व निर्णय टंकित करवा दिया एवं अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया इस बात की जानकारी वादीगण को जब राजस्व लोक अदालत केम्प में गए थे, तब हुई, जिस पर उसी समय नकले लेकर वादीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07, आदेश 09 नियम 09, आदेश 09. नियम 13, व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया, साथ ही अपीलार्थी संख्या 02 को भी जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने भी आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, साथ ही आगामी कार्यवाहीयो को स्थगित किए जाने बाबत् वादीगण ने धारा 94 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय ने निर्णय की आगामी कियान्विति को स्थगित कर दिया, उपरोक्त समय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिखा गया, लेकिन डिकी पर्चा मुर्तिब नहीं किया गया, इस कारण न्यायालय द्वारा डिकी पर्चा मुर्तिब की कार्यवाही को स्थगित किया, तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादीगण प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किए गए जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी एवं प्रतिवादी ने आदेश 09 नियम 09 एवं प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 का जवाब दिया बाद जवाब न्यायालय द्वारा दिनांक 27–10–2016 को बहस सुनी एवं न्यायालय ने मौखिक आदेश प्रार्थनापत्र स्वीकार बाबत् आदेश सुना दिया था व लिखित में लिखवा जाने के लिऐ दिनांक 08–11–2016 नियत की गई, पत्रावली में मूल वादपत्र न्यायालय के तलब किये जाने से पटल पर आ चुका था, इस कारण दिनांक 08–11–2016 को अपीलार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी संख्या 02 को वादीगण के रूप में संयोजित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया, तत्पश्चात् पत्रावली पर संशोधित अनवान पेश किया गया, संयोजित वादी द्वारा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करना शेष था, इस पर न्यायालय द्वारा संशोधित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

वादपत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु दिनांक 20–02–2020 को अन्तिम अवसर दिया, जिस पर वादी ने संशोधित वादपत्र का जवाब न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत कर दिए इससे पूर्व पत्रावली पर आगामी दिनांक 28–02–2020 वास्ते प्रतिवादपत्र के जवाब व संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किये जाने में ही नियत थी, तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमकसुद तरीके से आदेशिकाओ का अंकन कर पत्रावली को दिनांक 12–03–2020 को निर्णित कर दिया, जिससे तहत न्यायालय ने दिनांक 12–03–2016 के आदेश को बहाल कर डिकी पर्चा मुर्तिब कर दिया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12–03–2016 व दिनांक 12–03–2020 की पालना में जारी डिकी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील निम्न उजरात के साथ पेश है:–

प्रारम्भिक आपत्ति

अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति अंकित करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के पूर्वज ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध स्थाई व्यादेश का वाद प्रस्तुत किया था, उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगणो ने एक रेखित वादपत्र प्रस्तुत किया, इस प्रतिवादपत्र में मुख्य आधार प्रतिवादीगण ने अपने पूर्वज धन्ना जाट के द्वारा वादीगण की खरीद सुदा जमीन को बंशीलाल जी आचार्य से बिल एवज 5001/– रूपये के कय करने का लेकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है, यहाँ यह विधिक प्रश्न महत्वपूर्ण है कि राजस्व न्यायालय को इस प्रकार के मामले सुनने का कतई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस विकयपत्र का आधार प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया है. वह विक्रयपत्र प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत रेखित वाद अनुसार दिनांक 25–03–1975 को स्टाम्प पर लिखापढी कर निष्पादित किया गया था. इस स्टाम्प को प्रतिवादीगणो ने विकय इकसर के रूप में इसकी फोटोप्रति को प्रर्दश 02 के रूप में अंकित करवाया था। यह स्टाम्प मात्र 10६– रूपये पर निष्पादित किया गया है, जो कि अपर्याप्त मुद्रांक पर व अनरजिस्टर्ड था विधि में सुनवाई के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में यह समुचित व्यस्था है कि किसी भी इकरार के बाबत् यदि कोई अधिकार का दावा करना होतो इसका एक मात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है. इस हेतु सिविल न्यायालय में विकय इकरार की विनिर्दिष्ट पालना बाबत् समुचित न्याय शुल्क पर वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है। उपरोक्त वादपत्र राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रतिवादीगणो ने राजस्व न्यायालय को मुगालते में रखकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

क्षेत्राधिकार विहिन होते हुये भी विचारण करवा दिया। अधीनस्थ न्यायालय के इस कृत्य से विकय इकरार व विक्रयपत्र पर निर्धारित पंजीयन शुल्क व स्टाम्प शुल्क की भी हानि राज्य सरकार को हुई है। जब राजस्व न्यायालय को उपरोक्त आधार पर वादपत्र सुनने का ही अधिकार नही है तो ऐसे मामलो का डिकी किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की गोर अनियमितता व न्यायिक सिद्वान्तो की अवहेलना दर्शा रहा है। इस प्रकार के मामले यदि निर्धारित किये जाते है तो पंजीयन व मुद्रांकन विभाग का कोई औचित्य ही नही रह जायेगे। साथ ही स्टाम्प एक्ट के तहत जिस अधिकारी के समक्ष ऐसा दस्तावेज आता है, उस अधिकारी का यह दायित्व बन जाता है कि वह ऐसी अपर्याप्त मुद्रांकित लिखत को परिबद्ध कर उसको समुचित मुद्रांक लगाने की कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी के पास भिजवाये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह दस्तावेज आने पर भी न तो पूर्व के पीठासीन अधिकारी व न ही वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही ही की है, जो स्टाम्प विधि के प्रावधानो की सरासर अवहेलना है। उपरोक्त आपत्ति के मध्य नजर प्रतिवादी के प्रतिवादपत्र पर पारित डिकी को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। शेष तथ्यो को विस्तृत रूप से अपील के ज्ञापन में प्रस्तुत किया जा रहे है कि :—

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को विचारण में जो वैधानिक कार्यवाही होती है, उसमें नैसर्गीक न्याय के सिद्वान्तो की पालना नहीं की गई व न्याय नियम के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजुद वादीगण के साक्ष्य, वादपत्र, प्रतिवादपत्र के जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य का साध्यात्मक विवेचन नही कर त्रुटिपूर्ण निर्णय किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 12—03—2020 के निर्णय व पत्रावली का अवलोकन करे तो घोर अनियमितता स्पष्ट प्रकट हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर से प्रतिप्रेषित होकर दिनांक 04—09—2013 को प्राप्त हुई, जिस पर दिनांक 29—05—2014 को वकील वादी उपस्थित थे और प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 व 05 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी, तत्पश्चात् पत्रावली पर निरन्तर पेशी दर पेशी वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति रही। दिनांक 15—12—2015 तक वकील वादी व प्रतिवादी दोनो उपस्थित थे,

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

लेकिन तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 17—12—2017 को नियत थी, जिसमें पत्रावली पर अचानक से ही वादी की उपस्थिति या अनुपस्थिति बावत् कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया और जो कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना था वह भी प्रतिवादी के जिम्मे कर दिया, जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई मृत्यू की सुचना या वादी की एक तरफा कार्यवाही का आदेश नही है, फिर भी उपरोक्त आदेशिकाओ को अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसुद तरीके से अंकन कर वादीगणो के सम्मनो की असम्यक तामील करवा, तुरत फुरत में दिनांक 29—01—2016 को वादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया, जिस पर वादीगण को जब तक ध्यान पड़ा तब तक निर्णय लिखाया जा चुका था, लेकिन डिकी होना शेष था, इस कारण वादीगण के प्रार्थनापत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित कर दी थी। वादीगण के उपरोक्त प्रार्थनापत्र के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा विकय की गई जायदाद के केता की ओर से आदेश 10 नियम 01 का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र के समय मुल वादपत्र को तलब कर दिनांक 27—10—2016 को बहस सुनी और मौखिक आदेश वादी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का सुनाया था, तत्पश्चात् वादपत्र पुनः नम्बर पर आने से दिनांक 08—11—2016 को अपीलार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 को स्वीकार कर अपीलार्थी संख्या 02 को वादपत्र में वादीगण की हैसियत से पक्षकार बनाकर पत्रावली वास्ते संशोधित टाईटल हेतु नियत कर दी गई, जबकि उपरोक्त आदेश के पश्चात् सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 01 नियम 10 उप नियम 4 के तहत संशोधित अनवान व संशोधित वादपत्र में नियत की जानी चाहिये थी. इस बाबत न्यायालय को जानकारी हुई तो न्यायालय ने दिनांक 28—08—2018 को उपरोक्त सदभाविक त्रुटि को सुधारकर संशोधित वादपत्र पेश करने में नियत कर दिया, लेकिन तत्पश्चात् अचानक से ही न्यायालय द्वारा आदेश 09 नियम 13 के प्रार्थनापत्र की बहस में पुनः पत्रावली लगा दी गई, जिस पर वादीगण व संयोजित वादीगण के विरोध किया था। इसके पश्चात् न्यायालय ने दिनांक 20—02—2020 की आदेशिका में संयोजित वादीगण को संशोधित वादपत्र व प्रतिवादपत्र का जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, जिसको न्यायालय ने पुनः दिनांक 28—02—2020 व दिनांक 05—03—2020 को मनमकसूद तरीके से अपने हिसाब से सुधार दिया और संयोजित वादीगण द्वारा प्रस्तुत संयोजित वादपत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिवादपत्र के जवाब की औचित्यता को नकार दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त कृत्य को देखे तो अधीनस्थ न्यायालय स्वयं स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि किसी आदेशिका में त्रुटि है और किस आदेशिक को सुधारना है। प्रत्येक तारीख पेशी की आदेशिकाओं में अन्तर आ रहा है, जिससे स्वयं न्यायालय ही स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि उसे किस प्रार्थनापत्र की सुनवाई करनी व विचारण के आगे की प्रक्रिया क्या है, एक आदेशिका में न्यायालय संयोजित वादी को संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करने बाबत् आदेशिका में त्रुटि सुधार करता है और दूसरी आदेशिका में संयोजित वादी को संशोधित वादपत्र पेश कर करने का अंतिम अवसर देता है। वही तीसरी आदेशिका में पूर्व की आदेशिका का कोई औचित्य नहीं रहता है. यह अंकन करता है। आदेशिका दिनांक 08–11–2016 न्यायालय का एक आदेश था, जिसको न्यायालय ने केवल मात्र त्रुटि सुधार के आधार पर संयोजित वादीध अपीलार्थी संख्या 02 को बिना सुने सुधार दिया जो नैसर्गीक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है व विधि व न्याय नियमो के परे है। इस कारण उपरोक्त सारे तथ्यो के प्रकाश में न्यायालय का यह कृत्य पूर्वाग्रहों से ग्रसित प्रकट हो रहा है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अनियमितताओ के कारण निरस्तनीय है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 12–03–2020 के निर्णय पर यदि देखे तो अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विवेचन के मनमकसुद तरीके से निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का हवाला तो दिया, लेकिन उसके तथ्यो को उचित विवेचन नहीं किया। वादीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट अंकित किया था कि उसको जारी किये गये सम्मन बनावटी हस्ताक्षर बनाकर तामील करवा दी, तो यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम उन सम्मन का अवलोकन करना चाहिये था, जिनको आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29–01–2016 को वादी/अपीलार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया था, इन सम्मनो की पुश्त पर यदि देखे तो एक ही व्यक्ति को सभी तामीले दी गई है तथा उपरोक्त तामील पर इस प्रकार का कही पर भी अंकन नही है, सभी व्यक्ति एक ही परिवार में शामील सरीक रहते है। इसके अलावा यहाँ यह कथन करना भी उचित है कि वादीगण के अधिवक्ता न्यायालय में दिनांक 15–12–2015 तक उपस्थित थे, तो फिर अचानक से प्रतिवादी को वादीगण सम्मन जारी करने का क्या औचित रहा, क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई अंकन नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है कि वादी की एक तरफा कार्यवाही हुई हो या फिर अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नही चाहने बाबत् अकन किया हो। फिर भी प्रतिवादी ने मिली भगत कर वादी के दावे को असम्यक तामील करवा खारिज कर दिया जो निहायत नैसर्गीक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–03–2020 में यह आदेश करते हुये कथन किया कि वादी ने अपने प्रार्थनापत्र के साथ दफा 05 परीसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया है. जिस सम्बन्ध में उत्तर यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का समुचित अवलोकन नहीं किया है। पत्रावली पर निर्णिय दिनांक 12–03–2003 को प्रसारित किया गया था और वादी ने उपरोक्त निर्णय के सम्बन्ध में अपना आवेदनपत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–03–2016 को प्रस्तुत कर दिया। परिसीमा विधियो का अवलोकन किया जावे तो अन्वता तो उपरोक्त प्रार्थनापत्र जानकारी की दिनांक से निहित समयावधि प्रस्तुत किया गया है, फिर भी यहाँ पर तो केवल मात्र तीन दिन बाद यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे रिसीमा अवधि से बाहर मानकर वादी के विरूद्ध आदेश पारित कर दि। तो कतई न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कही पर भी उल्लेख नहीं किया है कि मात्र तीन दिन की देरी किस प्रवर से परिसीमा विधि से बाधित है, इसके अलावा यहाँ यह तथ्य बताना भी उचित है कि वादी को प्रतिवादी के उपरोक्त कृत्य की जानकारी दिनांक 12–03–2016 को हुई तो फिर ऐसी स्थिति में परिसीमा विधि का यह स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे मामले में जानकारी दिनांक से ही मियाद प्रारम्भ होती है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि का नैसर्गीक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, यह न्याय नियम का सिद्धान्त है, जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं की है, केवल मात्र तकनिकी कमिया निकालकर निर्णय पारित किया है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन नहीं कर अपीलार्थी संख्या 02 को जो सदपत्र में वादी के रूप में संयोजित हो चूका था, के विरूद्ध भी मनमकसु तरीके से निर्णय पारित कर दिया और अपीलार्थी संख्या 02 के मामले को भी खारिज कर दिया, जो न्याय नियम के सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्तनिय योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक 12—03—2016 को देखे तो प्रथम तो यह निर्णय वादीगण अनुपस्थिति में पारित किया गया था. फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में विधि का स्पष्ट उल्लघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष त्रावली पर वादी का वादपत्र, प्रतिवादी का प्रतिवादपत्र, प्रतिवादी के प्रतिपदपत्र का जवाब व वादी के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में करवाने गये गवाह भंवरलाल व हजारी माली के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 01 से लगाकर 07 तक दस्तावेज मौजुद थे. तत्पश्चात् पत्रावली प्रतिवार की साक्ष्य में नियत की। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने उपरोक प्रकरण में चार तनकीयो का निर्धारण भी किया था, इस प्रकार से सारे तथ्य साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी चीज का हवाला नहीं दिया व न ही वादपत्र व प्रतिपदपत्र पर आधारित बनाई गई तनकीयो के हिसाब से ही तनकीवार ही निय किया है, जबकि किसी भी न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य है कि पत्रा नी पर मौजुद साक्ष्य, वादपत्र, प्रतिवादपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य व उनके जव का अवलोकन कर तनकीवार निर्णय किया जाना चाहिये था, लेकिन अ नस्थ न्यायालय ने घोर अनियमितता कर निर्णय सिद्वान्तो का उल्लघन कर निर्णय पारित कर दिया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने। गंय में कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित व दिया, जबकि सही तथ्य है कि बंशीलाल पुत्र माधुलाल ने आराजी संख् 3471/1 दिनांक 25—03—75 को या अन्य किसी दिन धन्ना जाट को व्य नहीं की न कब्जा दिया, न धन्ना का कमी काबिज हुआ। दिनांक 203—75 को या अन्य किसी दिन बंशीलाल ने धन्ना के हक में लिखा पर्व नहीं की। तथाकथित लिखापढी बिकावनामा की परिभाषा में नहीं आता है। जो पुरे स्टाम्प पर नहीं है तथा अनरजिस्टर्ड है, जो शहादत में ग्राह्य नहीं है। इस दस्तावेज से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है व हुये हैं।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि बंशीलाल के स्वर्गवास के बाद दिनांक 18 नवम्बर 80 को विवादित आराजी का नामान्तकरण के न देवी के नाम स्वीकार हुआ है। यदि प्रतिवादीगण के बिकाव व कब में सन् 75 से होती तो नामान्तकरण कंचन देवी के हक में स्वीकार नहीं हो सकता था। साथ ही वादी संख्या 01 से संयोजित वादी संख्या 02 द्वारा कय करने के समय भी संयोजित वादी संख्या 02 को वादी संख्या 01 ने कब्जा सिपुर्द किया, जिसकी तस्दीक भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नामान्तकरण की कार्यवाही में की गई, इसलिये प्रतिवादीगण का प्रतिदावे में कब्जे के सम्बन्ध का तथ्य निधार है। सन् 80 के बाद या इससे पूर्व प्रतिवादीगण का कब्जा नही रहा है। प्रतिवादीगण का उजर भी बेरून मियाद है। विवादित आराजी ने प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकर व कब्जा नही रहा है व न ही है।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादीगण ने प्रतिवादपत्र अपने विक्रयपत्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त विकय अपंजीकृत, अपर्याप्त स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है. इस हेतु अगर प्रतिवादीगण को चाराजोही करनी है तो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये, साथ ही प्रतिकूल कब्जे के आधार लेने के लिये उसको सिद्धान्त के समस्त आधारो की अनुपालना बतानी चाहिये, यहाँ प्रतिवादीण ने दो आधारो को अलग अलग अपने हिसाब से अनुतोष के रूप में यह लिया है या तो प्रतिवादीगण विकयपत्र के आधार पर ही प्रतिवाद प्ररत करे या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ही प्रस्तुत करे। विधि में यह विवाभाषिता लागू किये जाने योग्य नही है. क्योंकि दोनो आधार एक दूसरे के विरोधाभाषी है। इस कारण प्रतिवादीगण के प्रतिवादपत्र को इसी स्तर खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपील की निर्णयक 12–03–2020 व प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक के पश्चात् कोविड 19 के कारण सम्पूर्ण लॉक डाउन होने से न्यायालय कार्य चालु होते ही अपील विहित सम्यावधि में प्रस्तुत है।

19. अतः निवेदन है अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय दिनांक 12–03–2016 व दिनांक 12–03–2020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण का वादपत्र स्वीकार कर प्रतिवादीः प्रत्य वण के प्रतिवादपत्र को खारिज किया जावे।

20. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिसीवरी प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस किया और कथ किया कि प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं चाहते है व मूल बहस में आज बहस करना चाहते है। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 10/–रूपये के स्टाम्प व अनरजिस्टर्ड के आधार पर खातेदारी घोषणा का दावा निर्णित कर दिया। पत्रावली साक्ष्य वादी में चल रही थी। पत्रावली पुनः राजस्व मण्डल से दिनांक 4.9.2013 को प्राप्त होकर दर्ज हुई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिनांक 29.5.2014 को वादी व प्रतिवादी उपस्थित हुए है। उसके बाद दिनांक 15.12.2015 तक वादी व प्रतिवादी उपस्थित रहीं। दिनांक 17.12.2015 से वादी उपस्थित । अनुपस्थित का तथ्य अंकित नहीं किया । दिनांक 19.1.2016 को वादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिये। प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम पर साक्ष्य पेश करने के लिए निर्देशित किया गया । दिनांक 12.3.2016 को आदेश पारित कर दिया । प्रकरण में दिनांक 17.12.2015 से उपस्थिति दर्ज करना बन्द कर दिया व बिना प्रकिया अपनाये आदेश पारित किया जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। दिनांक 15.12.2016 को वादी गण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश अन्तर्गत 9 (9) सी पी सी अन्तर्गत धारा 94 सपठित धारा 151 व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 (10) सी पी सी प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा उस दिन पारित निर्णय को स्थगित कर दिया औ पत्रावली नोटिस तामील के आदेश में रखी दी गई। दिनांक 17.10.2016 को प्रार्थना पत्रासें पर बहस सुनकर आदेश 1 नियम 10 सी पी सी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद पत्र के निर्देश दिये गये। दिनांक 28.8.2018 को संशोधित वाद पत्र के निर्देश दिये गये। दिनांक 20.2.2020 को संशोधित वाद पत्र के प्रति जवाब में पत्रावली नियत थी। दिनांक 28.2.2020 को आदेशिका में यह अंकन किया कि संशोधित वाद पत्र पेश किया जा चुका है और पत्रावली दिनांक 13.2.2020 के आदेश की पालना में आदेश 9 नियम 7 सी पी सी के एवं आदेश 9 नियम 13 सी पी सी की बहस में रखदी गई। दिनांक 5.3.2020 को संशोधित वाद पत्र को खारिज कर दिया । दिनांक 12.3.2020 को प्रार्थना पत्र को सुनकर निर्णय पारित कर दिया गया । प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया । पूर्व निर्णय को बहाल करते हुए डिकी बना दी गई। आदेशिका दिनांक 19.5.2014 से 12.3.2020 तकि की कानून के विपरीत मनमर्जी से किया गया है। जो वाद के निर्धारण की प्रकिया नहीं हो सकती है।

21. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (9) , प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (7), प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (13) को खारिज किया। इनमें प्रोपर तामील नहीं थी। सभी तामील एक ने ही ली। न्यायालय ने तामील मान ली। समयावधि के निर्णय के 3 दिन बाद पेश कर दिया तो धारा 5 पेश करने की जरूरत नहीं थी। प्रकरण में वादी का दावा था प्रतिवादी काउण्टर क्लेम के साथ आया था। जवाब आ गया था। तनकी बन गई थी। साक्ष्य में था प्रकरण लेकिन निर्णय तनकीवार नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

किया गया है। दस्तावेज के आधार पर निर्धारित किया है वह दस्तावेज अपूर्ण था जो अस्टाम्प व अपंजीकृत था । जिसके आधार पर घोषणा का दावा नहीं निर्णय किया जा सकता है। घोषणा के दावे में दस्तावेज व एडवर्स पजेशनके आधार पर आये जो दोनों विरोधाभासी है। बंशी लाल आचार्य मूल खातेदार था और बंशी लाल द्वारा अपने खातेदारों का उपयोग कर दिनांक 18.11.1980 को विरासत द्वारा कंचन देवी के नाम दर्ज हुआ व कंचन देवी ने अपीलाण्ट को 11 बिस्वा का बेचान किया। जिसकी खातेदारी दर्ज होकर काबिज है। वर्ष 1980 में कंचन देवी के नाम विरासत हुई तथाकथित स्टाम्प पेपर बेचान के बाद विरासत कैसे हो सकती है। प्रकरण में विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। अतः अपील अपकीलार्थी स्वीकार किया जवे।

22. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने दिनांक 5.2.2026 को बहस करते हुए निवेदन किया कि खातेदार बंशी लला आत्मज माधु लाल आचार्य द्वारा आराजी नम्बर 9195 का खातेदार था। जिसने दिनांक 19.7.75 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता धन्ना को बेचान कर दिया । लेकिन नामान्तरकरण नहीं खुला और जमीन बंशी लाल की मृत्यु के बाद पुत्री कंचन देवी के दर्ज हो गई। कंचन देवी द्वारा बाद में भूमि अपीलाण्ट पक्षकारों को बेच दी । बाद में खरीददार द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पत्र हमारे विरूद्ध पेश किया गया। उसका जवाब पेश कर काउण्टर क्लेम लाया गया कि जमीन के पूर्व से हम खरीददार है । बंशीलाल द्वारास्टाम्प व एडवर्स पजेशन के आधार पर बेचान कर दिया । धन्नरा जाट द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई गई। जिसमें बाद अनुसंधान अपीलाण्ट को मुल्जिम मानते हुए चार्ज शीट पेश की गई। जिसकी एफ आई आर की प्रति प्रदर्श 3 , चार्ज शीट प्रदर्श 4, निर्णय की प्रति प्रदर्श 5 है। जिसमें अपीलाण्ट को दोषी माना था। उसके उपरान्त भँवर लाल मीणा ने धन्ना के विरूद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसका निर्णय प्रदर्श 6 है। जिसमें हमें दोषमुक्त घोषित किया व कोर्ट ने कब्जा प्रतिवादी का माना। इस प्रकार प्रदर्श 3 से प्रदर्श 6 द्वारा कब्जा रेस्पोडेण्ट का है। हमारा कोस सूट था और वादी द्वारा नहीं लगाने पर प्रतिवादी द्वारा आदेश 22 नियम 3 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । जो स्वीकार किया गया ।

23. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 29.1.2016 को वादी के नही आने पर अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया व कोस सूट एकपक्षीय कर दिया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रतिवादी काउण्टर क्लेम में बयन करवाये गये। दिनांक 12.3.2016 को निर्णय पारित कर दिया गाय । वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से तनकीवार निर्णय करने की आवश्यकता नहीं थी। आदेश पारित होने की जानकारी दिनांक 15.3.2016 को हो गई थी। वादी चाहता तो उसकी अपील कर सकता था जो नहीं की गई । निर्णय दिनांक से अपील पेश करने की अवधि चार साल देरी से पशे की गई है। जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (9) सी पी सी, प्रार्थ्नना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (7) सी पी सी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (13) सी पी सी में भी देरी से पेश किये गये है। जिसका धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (13) सी पी सी की अपील पेश नहीं की गई है। स्टाम्प पेपर व कब्जा विरोधाभासी नहीं है। खरीद के कारण ही कब्जा प्राप्त हुआ था। स्टाम्प पेपर को आज दिनांक तक चेलेंज व खारिज नहीं किया गया है। मेरी पुश्तैनी जमीन के जुडवा जमीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की है । अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

24. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार काउण्टर क्लेम में घोषणा का आधार 10/–रूपये के स्टाम्प पेपर की लिखा पढी के आधार पर किया गया । उस स्टाम्प पेपर पर यह कथन करते हुए कि प्रतिवादियों के पूर्वज धन्ना जी आत्मज मांगू जाट द्वारा भूमि बंशीलाल से खरीदी गई है। खरीद का आधार सिर्फ अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। कानून व विधि के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की लिखापढी होती है तो उसका प्रमाणिकरण सक्षम न्याालय द्वारा ही किया जा सकता है। लिखापढी के आधार पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रकरण में राजकीय स्टाम्प ड्यूटी व शुल्क की भी हानि हुई है। विकय पत्र संपादित करने की विधिक प्रकिया बनी हुई है। जिसकी पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउण्टर क्लेम घोषणा को बिना किसी विधिक आधार के कानूनी प्रकिया से बाहर जाकर खातेदारी घोषणा की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जो विधिसंगत नहीं है । इस प्रकार पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.3.2016 व डिकी दिनांक 12.3.2016 व संशोधित डिकी दिनांक 4.6.2020 को अपास्त किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिकी पर्चा मूर्तिब किया जावे।

25. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 16.2.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/76/2020

उनवान

1. मांगीलाल पिता श्री मगनी कुम्हार, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा (राज०)

1/1 श्री जगदीशचन्द्र पिता श्री मांगीलाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/2 श्री रमेशचन्द्र पिता श्री मांगीलाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/3 श्री कैलाशचन्द्र पिता श्री मांगीलाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा (राज०)

1/4 श्री राधेश्याम पिता श्री मांगीलाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)

1/5 श्री कृष्णा पुत्री श्री मांगीलाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)

2. श्री महावीर पिता बालुराम झंवर, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्री सुनीत पिता सुरेशचन्द्र लढ़ा, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)

.... अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. श्री शिवलाल पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (मृत्यु हो जाने डिलिट)
2. श्री शंकरलाल पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
3. श्री रामप्रसाद पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती मांगी पत्नी श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (मृत्यु हो जाने डिलिट)
5. श्रीमती शंकरी पत्नी शिवलाल जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
6. श्रीमती अनोपी पत्नी शंकरलाल जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
के प्रकरण संख्या 585/2013 निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.3.2016
व निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.3.2020

अभिभाषक :

1. श्री सूरज सनाढ्य , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री पृथ्वीराज जाट, प्रत्यर्थी
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिकी
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/76/2020 मे उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्किी जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 16.2.2026 को अपीलाण्ट की ओर से श्री सूरज सनाढ्य वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी की उपस्थिति मे दिनांक 16.2.2026 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.3.2016 व डिकी दिनांक 12.3.2016 व संशोधित डिकी दिनांक 4.6.2020 को अपास्त किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 16.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्किी जारी की जाती है।

(पी0आर0मीना)
मु. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील	3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस